

ई-मेल/अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/भू.अ./एल.आर.सी./प-88/पार्ट-111/07/11921-52

दिनांक 1-10-2007

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान ।

विषय :- साइबर कैफे के माध्यम से जमाबन्दी की प्रतियाँ जारी करने हेतु
लाईसेन्स बाबत ।

प्रसंग :- मण्डल का पत्र क्रमांक राम/भू.अ./एल.आर.सी./प-88/ पार्ट-11/07
2626-58 दिनांक 15.03.2007 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत, साइबर कैफे के माध्यम से जमाबन्दियों की प्रतियाँ जारी किये जाने हेतु लाईसेन्स जारी किये जाने के दिशा निर्देश मण्डल के प्रासंगिक पत्र दिनांक 15.03.2007 के द्वारा दिये गये है । एन.आई.सी., जयपुर ने अपने ई-मेल दिनांक 25.09.2007 के द्वारा लॉगिंग एवं पासवर्ड, जिला स्तर पर ही जारी करने के निर्देश संबंधित डी.ई.ओ. को दिये है (प्रति संलग्न हैं ।)

अतः मण्डल के पूर्व पत्र दिनांक 15.03.07 के पैरा 7 व 8 में अंकित लाईसेन्स जारी कर लॉगिंग एवं पासवर्ड जारी करने हेतु सूचना एन.आई.सी., जयपुर के स्थान पर जिला मुख्यालय पर पदस्थापित डी.आई.ओ. को लाईसेन्स धारकों को लॉगिंग एवं पासवर्ड जारी किये जाने हेतु सूचित किया जावे ।

संलग्न :- उक्तानुसार

भवदीय,

उप-निबन्धक (भू.अ.),
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: सम/
प्रतिलिपि :-

दिनांक

- 1 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राजस्थान राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
- 2 ए.सी.पी., राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को ई-मेल करने हेतु ।

उप-निबन्धक (भू.अ.),
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर